

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1693 /2019

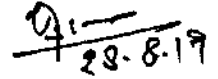
दिनांक 29.08.2019

श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को दिनांक 02.09.2019 से 03.09.2019 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 01.09.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा "अत्री" की अनुपस्थिति में अति. निदेशक (अकादमिक), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से


29.8.19

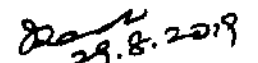
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/32/2013/8028

दिनांक : 29.08.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर को उनके पत्रांक 60 दिनांक 17.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री हरिओम शर्मा "अत्री" (RJ0167), निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।
4. अति. निदेशक (अकादमिक), राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।


29.8.2019

सहायक रजिस्ट्रार